



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 104/ 2026

सोन पाल

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – पूजा रायकवार, अनिल कुमार निषाद

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार निषाद के वाद-धारक अधिवक्ता श्री राजेश कुमार धुरिया, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाण्डेय को सुना।
2. इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम- मक्कागंज सुवाबोझ, तहसील- गोला गोकरण, लखीमपुर खीरी में स्थित गाटा संख्या 1882 क्षेत्रफल 0.35 की हरिजन आबादी की भूमि पर विपक्षी संख्या 6 और 7 द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उप-जिलाधिकारी, गोला गोकरण, लखीमपुर खीरी द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि सिविल जज, खीरी की न्यायालय में एक सिविल वाद संख्या 667 वर्ष 2025 लंबित है। यह वाद गजेन्द्र कुमार पुत्र ललता प्रसाद (विपक्षी संख्या 6) द्वारा शाश्वत व्यादेश के लिए दायर किया गया है। न तो राज्य, न ही गाँव सभा और न ही याचिकाकर्ता सोन पाल उक्त वाद में पक्षकार हैं।
4. निजी पक्षकारों के मध्य वाद का लंबित होना, अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए राज्य और उसके

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों को प्रभावित नहीं करता है।

5. निर्देशों के अनुसार, विवादित भूमि के स्थानीय निरीक्षण पर यह पाया गया कि लालता प्रसाद ने ईंट की दीवार खड़ी कर और उस पर टिन शेड डाल कर हरिजन आबादी की भूमि पर अतिक्रमण किया था। हरीश चंद भूमि पर अपना ट्रैक्टर खड़ा करते हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मात्र वाद लंबित होने के कारण नहीं की गई है।

6. जैसा कि ऊपर टिप्पणी की गई है, चूंकि राज्य, उसके अधिकारी और गाँवसभा वाद में पक्षकार नहीं हैं, इसलिए मात्र सिविल वाद का लंबित होना राज्य, उसके अधिकारियों और गाँव सभा के लिए विधि के अनुसार अतिक्रमण हटाने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के मार्ग में बाधा नहीं बनता है।

7. तदनुसार, इस याचिका को विपक्षी संख्या 2 से 5 को उ.प्र. राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत ग्राम-मक्कागंज सुवाबोझ, तहसील- गोला गोकरण, लखीमपुर खीरी में स्थित गाटा संख्या 1882 क्षेत्रफल 0.35 की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने और इसे विधि के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना और अल्प अंतराल पर तारीखें नियत कर तत्परतापूर्वक संपन्न कराने का निर्देश जारी करते हुए निस्तारित किया जाता है।

23 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)